


14/11/17

पत्रावली आज वमुझाम कैम्प कोर्ट आजीवाल कुला में
पेश हुई। पत्रावली वाले वस दिनांक 18/6/10

से लम्बित है। उक्त विचारित शूमि मौजा

आजीवाल जाखड़ा तहसील जोधपुर के खसरा

31, 98, 99 की शूमि पाथीनी अनुसार


सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (आस्ट ट्रेक)
जोधपुर



अधीनीये द्वारा की थी। एवं अधीनी उक्त स्थिति
 ग्रामिण रूपरे एक व हिस्से तक की अस्थाई निषेधाज्ञा
 जारी की। पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन
 किया गया। उक्त पत्रावली में प्रथम २६० तथा,
 दुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के विद्व पर
 गुणावगुण पर पत्रावली का परिशीलन किया
 गया। एवं गुणावगुण के अवलोकन पश्चात
 लॉफ़्तला मूल वाद अधीनी के अधीनीये
 एक व हिस्से तक की ग्रामिण पर स्थिति की
 प्रकार के आगे हस्तांतरण व बेचान, खुद हुनी
 उरने व राजस्व रिपोर्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा
 रखने हेतु अधीनी स.उ को लॉफ़्तला मूलवादी
 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।
 पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर नम्बर से जारी
 कर शामिल मूल पत्रावली हो।



सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जौधपुर